पत्रांक–2ब०/स्था० एवं प्रति० व्यय–04–01/2024 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–48, मुख्यशीर्ष–2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–0005–नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड–48–2251000900005 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹269010000.00 (छब्बीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रु०) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–0005–नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड–48–2251000900005 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल **₹269010000.00 (छब्बीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रु०)** मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2251 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	0005.01.01–वेतन	70618000	70618000
2	0005.01.03–जीवन यापन भत्ता	47957000	47957000
3	0005.01.04–मकान किराया भत्ता	12798000	12798000
4	0005.01.05–परिवहन भत्ता	5218000	5218000
5	0005.01.06–चिकित्सा भत्ता	1080000	1080000
6	0005.01.07–अन्य भत्ता	375000	375000
	योग(क)–वेतन एवं भत्ते	**138046000**	**138046000**
7	0005.05.01–पुरस्कार	12000	12000
8	0005.06.01–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3300000	3300000
9	0005.11.01–यात्रा व्यय	1800000	1800000
10	0005.13.01–कार्यालय व्यय	22500000	22500000
11	0005.13.02–वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	4000000	4000000
12	0005.13.03–दूरभाष	1000000	1000000
13	0005.13.04–विद्युत प्रभार	552000	552000
14	0005.13.05–विधि प्रभार	6000000	6000000
15	0005.13.06–वर्दी/पोशाक	0	0
16	0005.13.10–भाड़े की गाड़ी का भुगतान	17500000	17500000
17	0005.14.01–किराया महसूल एवं कर	3300000	3300000

18	0005.16.01–प्रकाशन एवं मुद्रण	500000	500000
19	0005.20.01–आतिथ्य व्यय	500000	500000
20	0005.20.03–प्रशिक्षण व्यय	10000000	10000000
21	0005.28.02–संविदा सेवायें	60000000	60000000
	योग (ख)	**130964000**	**130964000**
	कुल योग (क)+(ख)	**269010000**	**269010000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹269010000.00 (छब्बीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–4 में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

3. यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, एवं पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

5. **स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जायेगी।**

6. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०–**48–2251000900005** मांग सं0–48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/स्था०एवं प्रति० व्यय–04–01/2024 के पृष्ठ सं०–15/टि० पर दिनांक–01.04.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 16/टि० पर दिनांक– 01.04.26 को प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / स्था० एवं प्रति० व्यय–04–01 / 2024.01 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 01.04.2026

प्रतिलिपिः–वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना / कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एंव आवास विभाग / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।